न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 152/2023
(जीसीएमएस सं. 2023/367)

निर्णय दिनांकः— 22.08.2025

1. इन्द्रा देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट
2. सुमन चौधरी पिसरान नरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन डबली राठान हाल चक 6 एस.जे.एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. रेखा चौधरी पिसरान नरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन डबली राठान हाल चक 6 एस.जे.एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. विजेन्द्र चौधरी पिसरान नरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन डबली राठान हाल चक 6 एस.जे.एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. जोराराम पुत्र उर्जाराम जाति जाट साकिन सुरपालिया हाल चक 6 एस.जे.एम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. देवकी पत्नी कानाराम जाति कुम्हार साकिन चक 8 डीओएल तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30—12—2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, खाजूवाला।

उपस्थितिः—
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अपीलांट्स।
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 30–12–2005 जिसके द्वारा पूर्व में आंवटित एवं विशेष आवंटन आरक्षित रकबे को खारिज कर रेस्पोडेन्ट को सामान्य आवंटन कर दिया के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के पति/पिता को चक 6 एस.जे.एम. उनके आवेदन संख्या 33/93 के द्वारा मुरब्बा नंबर 39/45 के किला नंबर 1 ता 25 तादादी में 24.10 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि विशेष आवंटन श्रैणी में आवंटन हुई। आवंटन के समय उक्त रकबा गजट में साया था तथा अराजीराज था। आवंटन पश्चात् उक्त रकबा अपीलांट के पति/पिता के नाम दर्ज हो गया जो अब तक काबिज काश्त है। अपीलांट्स के पति/पिता का निधन दिनांक 18–10–13 को हो गया। अभिभाषक अपीलांट ने बताया की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त रकबे में से किला नंबर 15 ता 18, 21 ता 25 तादादी 9.00 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन काश्तकार दिनांक 27–03–1976 को आवंटन हुई, आवंटन बाद कभी उसका कब्जा काश्त रहा ना ही कभी अमलदरामद हुआ। सन् 1988 के राजपत्र में प्रकाशित होने पर अपीलांट्स के पति/पिता के आवेदन पर उन्हे आवंटित हो गयी। आवंटित होकर रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। अपीलांट के पति/पिता ने विशेष कि रकम खजाना राज में जमा करवाई और निरन्तर कब्जा काश्त कर रहे है।

अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सन 1999 में अपीलान्ट के आवंटन के खिलाफ न्यायालय हाजा में अपील पेश की जिसे न्यायालय हाजा ने दिनांक 25–09–2000 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कि गई दोनो पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देकर पुनः जांच करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित किया जाये। अधिनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड प्रकरण दिनांक 16–04–2004 को पुनः दर्ज कर दिनांक 03–06–2005 को रजि.एडी नोटिस जारी किए और अगली पेषी दिनांक 08–07–2005 को आदेशिका में यह लिखा कि डाक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र वापिस आया, घर पर सूचना की गई लेकिन प्राप्त कर्ता लेने नहीं आया जिसे तामिल मानकर उसी दिन इकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर दिनांक 30–12–2005 को प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया। अपीलांट्स के पति/पिता ने विशेष आवंटन की रकम खजाना राज में जमा करवाई जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सामान्य आवंटन कि जिससे भी राज्य सरकार को भेजा नुकसान हुआ है।

अभिभाषक अपीलांट्स ने बताया कि विशेष गजट के रकबे को गजट से निकाले वगैर सामान्य रकबें में आवंटन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के आवंटन और किश्तों या अन्य रकबा देने बाबत् कहीं आदेश पारित नही किये जबकि अपीलांट्स के पति/पिता विधिवत आवंटी था खजाना राज में राशि जमा करवा दी गई तथा आज तक काबिज काश्त है।

अभिभाषक अपीलांट्स ने बताया कि जैर अपील आदेश इकतरफा है। उकत रकबा विशेष आवंटन का रकबा है जबकि रेस्पोडेंट संख्या सामान्य आवंटन का पात्र है। अपीलांट्स विधिवत् आवंटी है से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो न्याय की मंशा के मंशा के प्रावधानों के विपरित है जिसे निरस्त करने या अन्यत्र शुद्ध रकबा राज भूमि का आवंटन का पात्र मानकर पूर्व में जमा राशि का समायोजन करते हुए अन्यत्र आवंटन किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट्स ने मियाद पर कथन करते हुआ कि उक्त जैर अपील आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, अपीलांट खेतिहर किसान है जिन्हे कानूनी बारीकियों का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उन्हे दिनांक 15–06–2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रतिनिधि ने कहा कि उक्त भूमि हमने बहुत पहले खरीद ली है इसपे हम कब्जा करेंगे तो अपीलांट्स को जानकरी हुई समस्त दस्तावेजों की नकल हेतु प्रयास किया और दिनांक 22–06–2023 को समस्त दस्तावेजो की नकल प्राप्त हुई। नकल लेकर अपने वकील से मिलकर जानकारी के दिन से ही अन्दर मियाद अपील पेश कर रहे है, अपीलांट ने अपील पेश करने में कोई देरी नही कि है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 को न्यायालय से समय समय पर नोटिस जारी किये जा चुके थे तथा दिनांक 27–10–2023 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जा चुका था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अतः रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 21–12–2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया की उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है मियाद के लिए पेश किये गये प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है जिससे कि अपील को अन्दर मियाद माना जाए अतः अपील अपीलांट को मियाद बिन्दू पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद का बिन्दू तय किया जाना है अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांका 30–12–2005 के विरूद्ध अपील दिनांक 23–07–2023 को प्रस्तुत की है अपीलांट के द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है इसके विपरित विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जैर अपील आदेश के पारित होने के लगभग 18 वर्ष बाद अपील पेश कि गई है और प्रार्थना–पत्र में मियाद बाहर अपील पेश करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर ही खारिज फरमाई जावे। मियाद बिन्दू पर न्यायालय हाजा का मत है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट ने जानकारी एवं नकल दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपील पेश कर दी है। अपीलांट के प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से अपील के संबंध में अपीलांट व रेस्पोडेंट को हुए आवंटनों

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट जोराराम को 27–03–1976 को चक 6 एसजेएम के मुरब्बा नंबर 39/37 में 9 बीघा व 39/45 में 9 बीघा इस प्रकार कुल 18 बीघा कमाण्ड भूमि का बतौर भूमिहीन आवंटन किया गया और 27–03–1976 को ही आवंटन आदेश जारी किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार जोराराम द्वारा उसे आवंटित भूमि का समय पर नियमानुसार कब्जा प्राप्त नहीं किया गया जिसके कारण जोराराम को आवंटित भूमि चक 6 एसजेएम के मुरब्बा नंबर 39/45 में 9 बीघा भूमि सन् 1988 में विशेष आवंटन श्रेणी गजट में साया हो गयी। चक 6 एसजेएम के मुरब्बा नंबर 39/45 की 24 बीघा 10 बीस्वा भूमि गजट में साया हुई जिसमें जोराराम को आवंटित 9 बीघा भूमि भी शामिल थी।

सन् 1988 में विशेष आवंटन श्रेणी गजट में साया चक 6 एसजेएम के मुरब्बा नंबर 39/45 की 24 बीघा 10 बीस्वा भूमि गजट में साया होने के कारण अपीलांट के पिता/पति नरेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 20–05–1993 को विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित चक 6 एसजेएमबी के मुरब्बा नंबर 39/45 व 39/26 की भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। श्री नरेन्द्र कुमार को उक्त भूमि में से चक 6 एसजेएम के मुरब्बा नंबर 39/45 की 24.10 बीघा भूमि 29–05–1999 को निर्धारित राशि जमा करवाने पर आवंटन आदेश जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की नरेन्द्र कुमार को आवंटित भूमि पत्रावली का अवलोकरन करने पर पाया जाता है कि नरेन्द्र कुमार को आवंटित भूमि चक 6 एसजेएम बी के मुरब्बा नंबर 39/45 की 24.10 बीघा का जमाबंदी 2059–2062 अनुसार कब्जा दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चूका है।

श्री नरेन्द्र कुमार को चक 6 एसजेएम के मुरब्बा नंबर 39/45 के किला नंबर 15 ता 18 21 ता 25 की कुल 9 बीघा भूमि आवंटित होने का श्री जोराराम को ज्ञान होने पर उसके द्वारा नरेन्द्र कुमार को आवंटित भूमि के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गई। न्यायालय हाजा द्वारा आवंटन अधिकारी को पक्षकारों को सुनवाई/सबूत का उचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय करने का निर्देश दिया गया। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–12–2005 को श्री नरेन्द्र कुमार को उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए। नरेन्द्र कुमार को आवंटित 9 बीघा भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जो की विशेष आवंटन श्रैणी की थी को श्री जोराराम के पक्ष में आवटन का निर्णय पारित कर दिया गया।

अपीलांट्स का कथन है कि वह और अधिक विवाद में नहीं पडना चाहते है। उन्हे विशेष आवंटन श्रैणी की 9 बीघा अन्य भूमि आवंटित की जावे तो अपीलांट को कोई ऐतराज नही है। इस पर न्यायालय का यह मत है कि अपीलांट विशेष आवंटन का पात्र था जिसके आधार पर उसे अपीलाधीन आराजी सहित भूमि आवंटित हुई। इस स्थिति में अपीलांट अपनी 9 बीघा की हद तक गजट की अन्यंत्र भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है। साथ ही रेस्पोडेन्ट को विशेष श्रेणी की भूमि का सामान्य श्रेणी में आवंटन किया गया है। जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है। अतः रेस्पोडेन्ट से अन्तर राशि वसूल किया जाना उचित है।

8. अतः अपीलांट की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट् आशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को विशेष आवंटन श्रैणी की 9 बीघा कमाण्ड की हद तक अन्य भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। साथ ही चूंकि रेस्पोडेन्ट श्री जोराराम को विशेष श्रेणी की भूमि का सामान्य श्रेणी में आवंटन किया गया है। अतः इससे राजस्व हानि होना प्रतीत होता है। अतः इसकी जॉच कर रेस्पोडेन्ट से अन्तर राशि वसूलने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, बीकानेर, उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला व तहसीलदार, खाजूवाला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22 08 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर